

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आया। 79 मिलियन टन के कम उत्पादन से सीआईएल आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

सीआईएल, खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए, पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के प्रमुख अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। उनकी सहायता के लिए पांच कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) और निदेशक (व्यापार विकास) हैं। प्रत्येक सहायक कंपनियों के अपने निदेशक मंडल हैं जिनके प्रमुख अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं और जिसमें उनकी सहायता कार्यात्मक निदेशक करते हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में कुछ अंश-कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

सीआईएल (समेकित) ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1,52,667.14 करोड़ रु. की अपनी अब तक की सबसे अधिक सकल बिक्री प्राप्त की और 1,00,623.37 करोड़ रु. की निवल बिक्री हुई। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयल्टी, जीएसटी, जीएसटी मुआवजा उपकर, उपकर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ), नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) और अन्य लेवी के लिए 49,678.36 करोड़ रु. का भुगतान/समायोजन किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, सीआईएल ने प्रत्येक के लिए पूर्णतः प्रदत्त 10 रु. की फेस वैल्यू

के लिए प्रति शेयर 14.0 रु. की दर पर 8,627.82 करोड़ रु. की कुल राशी के दो गुना अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। उपर्युक्त कुल अंतरिम लाभांश में से, भारत सरकार का शेयर 5,705.89 करोड़ रु. था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 3.00 रु. के अंतिम लाभांश का भुगतान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति शेयर 17 रु. के लिए प्रदत्त कुल लाभांश को प्राप्त करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में किया गया था।

2. सीआईएल की कार्यनीतिक संबद्धता

- सीआईएल भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन करता है।
- लगभग 55% प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा कोयले पर निर्भर करती है, सीआईएल अकेले ही लगभग 40% प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करता है।
- भारत में विद्युत उपयोग क्षेत्र की कुल कोयला आपूर्ति में से, जबकि 70.00% कुल विद्युत उत्पादन कोयला आधारित है, सीआईएल लगभग 83% आपूर्ति करता है और सीआईएल की कुल आपूर्ति में से, लगभग 80% विद्युत क्षेत्र के लिए होता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है।
- यह भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य के उतार-चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाता है।
- यह अन्त्य उपयोगकर्ता उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है और 'आत्मनिर्भर भारत' में एक मुख्य भूमिका निभाता है।

3. वर्ष 2021-22 में उपलब्धियां

- कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष के दौरान 622.63 मिलियन

टन कोयले का उत्पादन किया जो सीआईएल के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक का सर्वाधिक है। वर्ष के लिए उत्पादन 26.41 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है जो पिछले वर्ष के 596.22 मिलियन टन से 4.4% अधिक है।

- सीआईएल की पांच सहायक कंपनियों ने वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष '21 के उत्पादन को पार कर लिया। वे सहायक कंपनियां बीसीसीएल (23.75%), सीसीएल (10%), एनसीएल (6.42%), डब्ल्यूसीएल (14.78%) और एमसीएल (13.62%) हैं।
- वित्त वर्ष के दौरान, एमसीएल 150 मिलियन टन कोयला उत्पादक कंपनियों के अनन्य क्लब में शामिल होने वाली दूसरी सीआईएल की सहायक कंपनी बन गई। एमसीएल 168.17 मिलियन टन के उत्पादन के साथ 103% लक्ष्य प्राप्त वाली शीर्ष निष्पादक कंपनी थी।
- बीसीसीएल, एनसीएल और एमसीएल क्रमशः 102%, 103% और 103% की उपलब्धि के साथ वित्त वर्ष, 22 के अपने संबंधित उत्पादन लक्ष्यों से आगे बढ़ गई हैं।
- सीआईएल ने ओबी रिमूवल का 1362.06 मिलियन घन मीटर का सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया। वित्त वर्ष, 21 की तुलना में 1.29% की वृद्धि मामूली प्रतीत होती है, परंतु यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्त वर्ष 2020-21 में 1344.68 मिलियन घन मीटर के मजबूत आधार पर दर्ज की गई थी। क्योंकि, वित्त वर्ष, 21 के दौरान सीआईएल का ओबीआर वित्त वर्ष, 20 की तुलना में 16.49% बढ़ा है।
- बीसीसीएल (1.48%), डब्ल्यूसीएल (7.49%) और एमसीएल (19.07%) ने अपनी वृद्धि के साथ सीआईएल के ओबीआर रिमूवल को पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान प्रेरित किया।
- समग्र ओसी उत्पादन, जो कि ओसी खानों में संयुक्त रूप से कोयले और ओबी का निष्कर्षण है, वित्त वर्ष, 21 के 1699 की तुलना में वर्ष के दौरान 1733 मिलियन घन मीटर था।
- वर्ष 2022-23 में उपलब्धियां (दिसंबर, 2022 तक)

- दिसंबर तक 479 मिलियन टन का उत्पादन और 1154 मिलियन घन मीटर का ओबीआर संबंधित प्रगतिशील लक्ष्यों से आगे था। इस उपलब्धि को जो खास बनाता है वह लक्ष्यों का दुर्जेय पैमाना है, जिसका उल्लंघन करने में सीआईएल सक्षम था।

4. सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन पहल:

सीआईएल ने अन्यो के साथ-साथ निम्नलिखित मानव संसाधन परिवर्तनकारी पहल की हैं:-

2021-22 में उपलब्धियां (नवंबर 2021 तक)

4.1 एचआर नियमावली को अद्यतन और अनुरक्षित करना

सीआईएल कार्यकारी एचआर मैनुअल - कार्यकारी मानव संसाधन नियमों और नीतियों के सारांश को लगातार अद्यतन किया गया है और इसे सीआईएल की वेबसाइट में माननीय कोयला मंत्री द्वारा 01.11.2020 को लॉन्च करने के बाद से प्रत्येक महीने की 1 तारीख को प्रकाशित किया गया है। यह अब एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है जो न केवल नियमों और नीतियों के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा बल्कि अधिकारियों के मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों से निपटने में खुलापन और पारदर्शिता भी पैदा करेगा।

4.2 एचआर नीतियों/नियमों की समीक्षा

एक सतत प्रक्रिया के रूप में, सीआईएल की मानव संसाधन नीतियों/नियमों को अन्य सीपीएसई, सरकारी दिशानिर्देशों और संगठन की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारने हेतु अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्क किया गया है। इस उपयोग के तहत, चालू वर्ष में लगभग 4 नई नीतियां/नियम बनाए गए हैं और 12 मौजूदा नीतियों/नियमों को संशोधित किया गया है। कुछ नीतियां और नियम तैयारी/संशोधन प्रक्रिया के अधीन है। प्रमुख नीतियों / नियमों में सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, भर्ती नियम, संवर्ग योजनाएं, जॉब रोटेशन और स्थानांतरण नीति, नैदानिक प्रयोगशालाओं के पैनलबद्ध करने के तौर-तरीके, ईडी पदों का निर्माण, दिव्यांग कार्यपालकों के लिए दोहरे परिवहन भत्ते का भुगतान आदि शामिल हैं।

5. सीआईएल के लोगों का कार्य निष्पादन

कर्मचारी भारत में कोयला खनन के केंद्रीय विषय हैं और सीआईएल में लोगों की प्रक्रियाओं में न केवल कंपनी के प्रचालनों की मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं, बल्कि ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग भी शामिल हैं। कई हितधारकों में कंपनी के स्वयं के कर्मचारी और उनके परिवार, लगभग 93,962 टेका कामगार, कोलफील्डस के आसपास के ग्रामीण, सहायक उद्योग, कोलफील्ड्स आदि में प्रचालनरत सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एक बड़े सामाजिक

उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और उपयुक्त विकास के लिए अपने लोगों, नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हुए कंपनी के हितधारकों की बदलती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

5.1 जनशक्ति

दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार सीआईएल की अपनी सहायक कंपनियों सहित कुल जनशक्ति 2,42,094 हैं। जनशक्ति की कंपनी-वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी	01.12.2021 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.12.2022 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
1	ईसीएल	53,636	51,857
2	बीसीसीएल	39,706	37,687
3	सीसीएल	36,194	35,317
4	डब्ल्यूसीएल	36,113	34,599
5	एसईसीएल	45,151	42,505
6	एमसीएल	21,930	21,746
7	एनसीएल	14,468	13,939
8	एनईसी	824	697
9	सीएमपीडीआई	3027	2,906
10	डीसीसी	191	157
11	सीआईएल (मुख्यालय)	740	684
	कुल	2,51,978	2,42,094

6. कर्मचारी कल्याण

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। समाज के सभी वर्गों जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों के साथ-साथ समाज के अन्य हाशिए के वर्गों को बिना किसी भेदभाव के जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे नीचे दी गई हैं: -

6.1. आवासीय सुविधाएं:

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, सभी पात्र कर्मचारियों को उपलब्धता और कंपनी नियमों के अधीन कंपनी क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं। हमारे कर्मचारियों को उचित

आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए इन आवासों की पूरी मरम्मत करने के साथ-साथ नियमित रूप से इनकी मरम्मत और देख-रेख की जाती है।

6.2. जल आपूर्ति

कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। पानी की आपूर्ति उचित उपचार के बाद की जाती है और 67 आरओ प्लांट / प्रेशर फिल्टर प्लांट भी कोलफील्डस में मौजूद हैं जो न केवल हमारे कर्मचारियों को बल्कि पड़ोस की आबादी को भी पूरा करते हैं।

6.3 शैक्षिक सुविधाएं

सीआईएल की सहायक कंपनियां कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु खान क्षेत्रों में स्कूल चलाने वालों जैसे कि डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती रही हैं।

6.4 कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना:

कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के तहत कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष दो प्रकार की छात्रवृत्ति अर्थात् योग्यता एवं सामान्य छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

क) मेरिट स्कॉलरशिप में, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक या किसी राज्य बोर्ड में पहली से बीसवीं पॉजिशन प्राप्त करने वाले या आईसीएसई, सीबीएसई/आईएससी परीक्षा (कक्षा-दस और बारहवीं) में 95% और उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

निर्धारित प्रतिशत अंकों के अधीन किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक कक्षा-V से आगे पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ख. नकद पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण पत्र: प्रत्येक वर्ष सीआईएल कर्मचारियों के उन प्रतिभाशाली बच्चों को 5000 रु. और 7000 रु. के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जो 10वीं और 12वीं स्तर की बोर्ड स्तरीय परीक्षा में 90% अथवा इससे अधिक कुल अंक प्राप्त करते हैं।

ग. देश में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड वेतन बोर्ड के कर्मचारियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की सीमा तक आईआईटी, एनआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में इंजीनियरिंग/मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

6.5. चिकित्सा सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां

कोलफील्ड्स के विभिन्न भागों में औषधालयों के स्तर से केंद्रीय एवं शीर्ष अस्पतालों तक विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा रही हैं। विशेष उपचार जिनके लिए विशेषज्ञता/सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाहर उपचार हेतु पैनलबद्ध अस्पतालों में रेफर भी किया जाता है।

रोगियों को अस्पतालों तक पहुंचाने हेतु, पूरे कोलफील्ड्स क्षेत्रों में केन्द्रीय स्थानों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी और जीवन सहायता सिस्टम के साथ एम्बुलेंस प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, एचआईवी/एड्स और कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष बल भी दिया गया है।

ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कामगारों को कंपनी के अस्पतालों/औषधालयों में ओपीडी और इनडोर उपचार संबंधी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है।

6.6. सांविधिक कल्याण सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, कोयला खानों के लिए विभिन्न सांविधिक कल्याण सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर्स आदि चला रही हैं।

6.7. गैर-सांविधिक कल्याण उपाय

क. सहकारी भंडार और ऋण समितियां

कोलियरीज में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सस्ती दर पर करने के लिए, सीआईएल के कोलफील्ड क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी और प्राथमिक सहकारी भंडार कार्यरत हैं। इसके अलावा, कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्यरत हैं।

ख. बैंकिंग सुविधाएं और डाक घर

कोयला कंपनियों के प्रबंधन अपने कामगारों के लाभार्थ कोलफील्ड्स में अपनी शाखाएं और एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसी प्रकार, आवासीय कॉलोनियों के पास

सुविधाएं देने के लिए प्रोत्साहित करके डाकघरों को कामगारों के निकट लाने के प्रयास किए गए हैं।

ग. होलिडे-होम्स

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लाभ के लिए मामूली लागत पर पर्यटन के आकर्षक स्थानों पर होलिडे-होम्स की सुविधाएं प्रदान करती है। ये सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध हैं। इस समय, दीघा, पुरी और दार्जलिंग में 3 होलिडे-होम्स प्रचालनरत हैं।

घ. मनोविनोद सुविधाएं

कामगारों और उनके परिवारों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कामगारों की आवासीय कॉलोनियों के पास मनोविनोद तथा खेल सुविधाएं हैं।

ड. खेल

खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोल इंडिया में पश्चिम बंगाल सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोशिएशन (सीआईएसपीए) के माध्यम से प्रशासित एक अनुमोदित खेल नीति है और यह एसोशियेशन अपने कोलफील्ड क्षेत्रों में भी स्पॉन्सरशिप/वित्तीय सहायता प्रदान करके खेलों और संस्कृति को सपोर्ट करता है।

6.8 सीआईएल की कल्याण बोर्ड बैठक

कोल इंडिया का कल्याण बोर्ड कंपनी के कर्मचारियों के जीवनयापन को बेहतर करने और इसमें सुधार करने के लिए कल्याण नीतियों से संबंधित निर्णय लेने वाला मंच है।

सीआईएल के कल्याण बोर्ड के सदस्यों में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हैं जो नियमित रूप से कल्याण उपायों पर चर्चा तथा विभिन्न कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है; कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।

7. कर्मचारी प्रशिक्षण

पिछले 3 वर्षों के लिए सीआईएल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

विवरण	2020	2021	2022 (नवम्बर तक)
कार्यपालक	5908	11083	14567
गैर- कार्यपालक	23707	32570	51421
कुल	29615	43653	65988

ठेका कामगारों से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	2020	2021	2022 (नवम्बर तक)
ठेका कामगार	63066	72570	78241
प्रशिक्षित किए गए कुल ठेका कामगार	17252	21084	33466

8. प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर, कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिए जाते हैं। सभी परियोजनाओं में जेसीसी, सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

9. ठेका कामगार

कोल इंडिया लिमिटेड निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में लगभग 93,962 ठेका कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेका कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। खनन गतिविधियों में नियोजित ठेका कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है जो उपयुक्त सरकार

द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। ठेका कामगारों को खान क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ठेका कामगारों को कंपनी की निःशुल्क सुविधा पर चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी ठेका कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया रहा है और निजी बचाव संबंधी उपकरण जैसे कि हेलमेट, माइनिंग शूज, डस्ट मास्क, सेफ्टी लैप्स और अत्याधिक पानी वाली खानों में गंबूट्स और उचित हुड्स सहित रेनकोट्स दिए जाते हैं। नियमित कर्मचारियों को प्रदान की जा रही कैंटीन, रेस्ट शेलटर्स, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं आदि सुविधाओं का संविदा कामगारों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सभी ठेका कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (सीएमपीएफ और सीएमपीएस/ईपीएफ) के तहत सफलतापूर्वक शामिल किया है। ठेका कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचा जा सके।

ठेका कामगारों (विनियमन एवं संशोधन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत ठेका कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'ठेका कामगार भुगतान प्रबंधन पोर्टल' का सृजन और प्रारंभ किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न ठेकादारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या सहित व्यापक डाटाबेस इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यह पोर्टल सभी ठेका कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति को देख सकें।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 18 फरवरी, 2022 की अपनी राजपत्रित अधिसूचना के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों को एस.ओ.2063 दिनांक 21 जून, 1988 के तहत क्रम संख्या 1 से 3 में विनिर्दिष्ट (निषिद्ध) कार्यों पर ठेका कामगारों को नियुक्त करने की छूट दी है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 07.12.2021 से पांच वर्ष के लिए प्रकाशित भारत के राजपत्र भाग- II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

10. बाल श्रम/बलात मजदूरी/ बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों में इसकी मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेकधारकों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले ठेका कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान मॉनीटरिंग की जाती है।

11. संघ की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

12. भेदभाव न करना

कंपनी कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत, लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं।

13. संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल

- संगठन में शामिल होने वाले सभी नए लोगों का प्रोजेक्ट "आगमन" के तहत स्वागत किया जाता रहा है। सहायक कंपनियों में तैनाती से पहले, उन्हें भारतीय कोयला प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान (आईआईसीएम)-सीआईएल का उत्कृष्टता केंद्र, रांची में अधिष्ठापन कार्यक्रम शामिल किया जाता है।
- सभी सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फेयरवेल दिया जाता है और उनके सेवानिवृत्ति बकाए का भुगतान प्रोजेक्ट "सम्मान" के तहत किया जाता है। अध्यक्ष, सीआईएल और सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

14. निरंतर सुधार और ज्ञान प्रबंधन की पहल

ज्ञान के निरंतर साझाकरण के लिए, सभी सीपीएसई के लिए एक सामान्य ज्ञान पोर्टल ओएनजीसी के तत्वावधान में विकसित किया गया है। यह पोर्टल पीएसयू के लिए एक सामान्य पोर्टल है जिसके तहत वे अपनी विशेष उपलब्धियां, अन्य पीएसयू से सीखने की सर्वोत्तम प्रथाएं और सुविधाएं साझा कर सकते हैं। सीआईएल समय-समय पर 'समन्वय पोर्टल' इंफो बैंक में योगदान भी देती है। कुछ सहायक कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए ई-पाठशाला और ई-गुरुकुल पोर्टल शुरू करके ज्ञान प्रबंधन की पहल भी की है, जहां कर्मचारियों द्वारा अलग-तरह के अनुभव साझा किए जाते हैं।

15. जन विकास पहल निगरानी नीति

- i. **उपदान-** सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी 20 लाख रुपए तक का उपदान प्राप्त करते हैं।
- ii. **सीएमपीएफ-** सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और कंपनी द्वारा बराबर-बराबर अंशदान किया जाता है।
- iii. **कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस)** – सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25% राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उनके आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
- iv. **सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता** – सीआईएल ने कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए अपने 2.63 लाख कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना शुरू की है। कुछ शर्तों के अधीन, यह योजना गैर-कार्यपालकों तथा कार्यपालकों को साधारण मामलों में इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए क्रमशः 8 लाख रुपए और 25 लाख रु. के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करती है और हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार, एचआईवी-एड्स व सांघातिक रक्ताल्पता/ अधिवृक्क हिस्टोप्लास्मोसिस जैसी गंभीर बिमारियों और गंभीर दुर्घटनाओं तथा मस्तिष्क ज्वर के

मामलों में वास्तविकता के आधार पर सहायता दी जाती है।

- v. **अधिवाषिता पेंशन योजना** – सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी रूप में अधिवाषिता लाभ देने के लिए एक अधिवाषिता पेंशन योजना तैयार की है। इसे 01.01.2007 से कार्यान्वित किया गया है।
- vi. **कर्मचारी मुआवजा** – ड्यूटी के दौरान मृत्यु/ दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कम्पनी घातक खान दुर्घटना अथवा कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में 90,000 रुपए उपदान के रूप में और 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान करती है।
- vii. **जीवन बीमा योजना** – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 1,25,000 रु. की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
- viii. **आश्रित सदस्य को रोजगार** – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने/दिव्यांग होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में नौकरी पाने का हकदार है।

16. शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायतों की ई-फाइलिंग के लिए, सीआईएल द्वारा पूर्व में ऑन-लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस) शुरू की गई थी। इसके बाद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में आनलाइन शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली को केंद्रीकृत बनाने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुसरण में, सीआईएल ने केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) को अपनाया है, जिसे कार्य दोहराव से बचने के लिए ओएलजीएमएस को फेस आउट करते हुए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था।

- त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। शिकायतों और उनके रिस्पांस की निगरानी/समीक्षा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों वाली शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। देरी किए बिना शिकायत के समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है और परिणाम पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां भी अंतरिम जवाब की जरूरत होती है, वहां शिकायतकर्ता को ऐसा जवाब भेजा भी जाता है।

यदि शिकायतें कोयला कंपनियों से संबंधित हैं, तो नोडल अधिकारी इसे संबंधित सहायक कंपनियों को उनकी टिप्पणियों/कार्रवाई के लिए अग्रेषित करते हैं। यदि यही सीआईएल के किसी अन्य विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित है तो उसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों पर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से इनको देखा जा रहा है और शीघ्रता से इनका निपटान किया जा रहा है।

17. सीआईएल की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति

सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालित आरएंडआर नीतियां/योजनाएं समय के साथ विकसित हुई थीं और सीआईएल की 1994, 2000, 2008 और 2012 की आरएंडआर नीति जैसी बदलती परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में कई परिवर्तन किए गए थे।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनी सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि (सभी अधिकार) ले रही हैं और (एमसीएल को छोड़कर) भू-स्वामियों या उनके नामातियों को प्रत्येक दो एकड़ भूमि के लिए पैकेज डील अवधारणा या अवरोही क्रम में एक रोजगार प्रदान कर रही हैं। एमसीएल ओडिशा सरकार की आरएंडआर पॉलिसी 2006 का अनुपालन करती है और इसी नीति के तहत रोजगार अधिशासित होता है।

सीआईएल आरएंडआर नीति में लचीलेपन की शर्तें भी हैं जहां सहायक कंपनी बोर्ड को संबंधित सहायक कंपनी में प्रचलित विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में उक्त नीति में आवश्यक संशोधन को अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया है।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनियां खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए सीबीए (एएंडडी) अधिनियम 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं जो पूरी तरह खनन से संबंधित हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 28.08.2015 को आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2015 के मुद्दे के संदर्भ में, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा, आर एंड आर लाभ और बुनियादी सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II एवं III के अनुसार उपलब्ध कराई जानी हैं।

इसके बाद, कोयला मंत्रालय ने सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए इस आदेश के कार्यान्वयन के बारे में अलग-अलग स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

तदनुसार, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए आरएंडआर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार या पीएएफ द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रदान किए जा रहे हैं और मौजूदा पद्धति के अनुसार रोजगार प्रदान कराया जा रहा है अर्थात् प्रत्येक दो एकड़ जमीन के लिए एक रोजगार।

इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड ने 25.08.2020 को आयोजित अपनी 409 वीं बैठक में सीआईएल, 2020 की वार्षिकी योजना को अनुमोदन दिया ताकि छोटे भू-स्वामियों के साथ-साथ प्रभावित परिवार की आवश्यकता में सुधार किया जा सके जो राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा यथा प्रमाणित एक गैर-हकधारी धारक हो सकता है, जिनकी आजीविका का मूल स्रोत वह भूमि थी जिसे अधिग्रहण की तारीख से तीन साल से अधिक समय पहले ही अधिग्रहित कर लिया गया था और भूमि अधिग्रहण से जिनका आय का नियमित स्रोत प्रभावित हुआ।

18. सीआईएल में पर्यावरण की चिंता

सीआईएल अपने व्यापार परिचालन को शुरू करते समय समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। यह पर्याप्त शमन पद्धतियों के साथ कोयले का खनन करते समय पर्यावरण की चिंता के लिए भी प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के अपने प्रयास में, यह इस बात से परिचित है कि कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के

लिए एक सक्रिय निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल फुटप्रिंट्स कम से कम हों, निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- **एकीकृत परियोजना नियोजन:** नई कोयला खनन परियोजनाओं में, पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की योजना बनाना प्रमुख चिंताएं हैं। खनन लेआउट डिजाइन करते समय, संचालन के लिए संभव न्यूनतम सीमा तक भूमि (वन भूमि सहित) आवश्यकता को कम करने के लिए सावधानी बरती जा रही है। योजना बनाने में मृदा उत्खनन, संरक्षण और उद्धारित क्षेत्रों पर इसके पुनः उपयोग से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कम उत्सर्जनों के साथ बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सतही खनिकों और सतत खनिकों जैसी नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इन-पिट क्रशिंग और बेल्ट कन्वेयर प्रणाली के साथ ओपनकास्ट खानों की योजना बनाई जाती है ताकि वायु गुणवत्ता के स्तरों में सुधार किया जा सके। उत्पादन पश्चात भूमि का श्रेष्ठ उपयोग प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए उचित सम्मान के साथ परियोजनाओं के संबंध में योजना बनाई जाती है ताकि यह स्थानीय आबादी के लिए एक परिसंपत्ति बन जाए।
- **सांविधिक मंजूरियां और उनका अनुपालन:** अपेक्षित सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद ही परियोजनाओं का परिचालन किया जा रहा है। विभिन्न मंजूरियों में दर्शाई गई सभी सांविधिक शर्तों का अनुपालन पूरी कर्मठता के साथ किया जा रहा है और सांविधिक एजेंसियों को समय-समय पर सूचित किया जा रहा है।
- **प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन:** सीआईएल अपनी परियोजनाओं की पर्यावरण प्रबंधन योजना में एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषक पूरी तरह निर्धारित मानकों के भीतर रहें। वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण

नियंत्रण से संबंधित विवरण सतत पहलों के तहत रिपोर्ट में अन्यत्र परिलक्षित होते हैं।

- **खान बंद करने के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन:** वर्ष 2009 में कोयला मंत्रालय द्वारा खान बंद करने के दिशा-निर्देश जारी करने और इसके बाद के संशोधनों के साथ, सभी परियोजनाओं के लिए खान बंद करने की योजना (एमसीपी) तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की गई है। एमसीपी में खान बंद करने के तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय मुद्दे शामिल हैं जो खान बंद करने की क्रमिक तथा अंतिम गतिविधियों को पूरा करने के दौरान भूमि उद्धार पर जोर देते हैं। एमसीपी का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि विशेष ध्यान देकर खान के जीवनकाल के दौरान सभी निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जाए ताकि निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सके:
 - सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता न किया जाए
 - पर्यावरणीय संसाधन न्यूनतम भौतिक और रासायनिक गिरावट के अधीन हो
 - स्थल का खनन के बाद का उपयोग लंबी अवधि में फायदेमंद और टिकाऊ हो
 - सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने का अवसर दिया जाए।
- **जैव विविधता अध्ययन:** सीआईएल ने एनईईआरआई, आईसीएफआरआई, एफआरआई, एससीएफ, एनआईटी (आर) आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा जैव विविधता अध्ययन करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों की 22 खानों को अधिनिर्धारित किया है। इन साइटों में से, ईसीएल, एमसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल की 4 साइटों में जैव विविधता अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

हरित पहलें: 'स्वच्छ और हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जहां भी भूमि उपलब्ध है वहां सीआईएल द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष में, सीआईएल की सहायक कंपनियों ने लगभग 1600 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर

करते हुए 31 लाख पौधे लगाए हैं और सीआईएल ने 315 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र पर ग्रासिंग की है और इसी अवधि के दौरान स्थानीय समुदायों को 1 लाख से अधिक पौधे संवितरित किए हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

एससीसीएल वर्तमान में तेलंगाना राज्य के छह जिलों में फैली 18 ओपनकास्ट खानों और 24 भूमिगत खानों का परिचालन कर रही है। एससीसीएल पर्यावरण के प्रति जागरूक है और कोयला खानों में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में सक्रिय है।

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में, एससीसीएल ने पर्यावरण नीति तैयार की है। पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, योजना, निष्पादन और निगरानी प्रणालियों में एकरूपता लाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सतत कोयला खनन कार्य सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी खानों, विभागों और अन्य इकाइयों को पर्यावरण नीति, उद्देश्य और दिशा-निर्देश परिचालित किए गए थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए एससीसीएल विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों, नियमों का अनुपालन कर रही है और पर्यावरणीय मानदंडों/शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना पर पर्यावरण प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। पर्यावरण संरक्षण और अनुपालन के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरीयों में निर्धारित शर्तें, परिचालन के लिए सहमति और अन्य सांविधिक मंजूरीयों संबंधी रिपोर्टें समय-समय पर विनियामक एजेंसियों को प्रस्तुत की जा रही हैं। सीपीसीबी से मान्यता प्राप्त एनएबीएल द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाओं के आस-पास पर्यावरणीय निगरानी की जा रही है और प्रदूषण की रोकथाम संबंधी आवश्यक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

एससीसीएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, एससीसीएल ने खानों में जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था और कोल

हैंडलिंग संयंत्रों में मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की है।

- खान के अतिरिक्त जल को आस-पास के पानी की टंकियों में डिस्चार्ज किया जा रहा है और टैंकों की गाद निकालने का काम भी शुरू किया जाता है ताकि जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके जिससे आस-पास के ग्रामीणों द्वारा वर्ष में दो फसलों को उगाने में मदद मिलती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- ओपनकास्ट खानों में नॉन-इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक अपनाई जा रही है ताकि शोर और ब्लास्ट कंपन को नियंत्रित किया जा सके।
- धूल दबाने और वृक्षारोपण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसे डिस्चार्ज करने से पहले खान और कॉलोनी बहिष्कारों को अवशोषित किया जाता है।
- ओवरबर्डन डंप के उद्धार के लिए एससीसीएल जैविक इंजीनियरिंग तकनीकों को कार्यान्वित कर रही है। इन तकनीकों का उद्देश्य अपशिष्ट और अवक्रमित भूमि को संधारित पारिस्थितिकीय भू-आकृति में बदलना है जो मृदा अपरदन, जल निकासों की गाद, जल प्रदूषण, धूल प्रदूषण को भी रोकेगी और पर्यावरण के सौंदर्य को फिर से बढ़ाएगी।
- एससीसीएल अपनी स्वयं की नर्सरियों में बड़े पैमाने पर स्थानीय पौधों की प्रजातियों को उगा रही है ताकि वह वार्षिक आधार पर अपने सभी खनन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम शुरू कर सके।
- एससीसीएल, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीएसआर और डीएमएफटी के तहत धन आवंटित कर कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक उपाय कर रही है।
- खान बंद करने की गतिविधियां कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खान योजना और खान बंद करने की योजना के अनुसार शुरू की जा रही हैं।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन के लिए अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एससीसीएल चरणबद्ध

तरीके से सभी खनन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर रही है।

- आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा निस्तारण की व्यवस्था, पार्कों और बगीचों का विकास, कॉलोनी और उसके आसपास ग्रीनबेल्ट, रूफ-टॉप सोलर पैनल आदि उपलब्ध कराकर एससीसीएल इको-फ्रेंडली कॉलोनियां भी विकसित कर रही है।
- चालू वित्त वर्ष (नवंबर, 2022) में, एससीसीएल ने लगभग 482 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 13.9 लाख पौधे लगाए हैं।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान-1 में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की वर्तमान खनन क्षमता 32.1 एमटीपीए लिग्नाइट और 20 एमटीपीए कोयला है तथा दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 6061.06 मे. वा. है। एनएलसी इंडिया लि. की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएसएचएस) के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त है।

18. प्राधिकृत पूंजी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल):

- (i) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सीआईएल के लिए प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 8000.00 करोड़

रुपये है और प्राधिकृत वरीयता शेयर पूंजी 904.18 करोड़ रुपये है।

(ii) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल):

एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत्त इक्विटी 1,386.64 करोड़ रु.(बाई बैक-2018 के बाद) है। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है:

निवेश	(करोड़ रु.)
इक्विटी – भारत सरकार का हिस्सा:	1,098.22 (दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार)
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)	शून्य

(iii) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

(एससीसीएल): सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

(एससीसीएल) क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है।



19. उत्पादन निष्पादन (एनएलसी इंडिया लिमिटेड)

वर्ष 2022-23 के दौरान ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:


उत्पाद	इकाई	ब.अ. 2022-23	2021-22 (जनवरी, 22 से मार्च, 22 तक)	2022-23 (दिसंबर, 22 तक)		जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक (अनुमान)
			वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक (अंतिम)	
ओवरबर्डन	एमटी ³	165.85	40.34	120.05	112.35	45.80
लिग्नाइट	एमटी	26.35	8.52	18.39	17.21	7.96
कोयला	एमटी	8.00	2.28	5.70	7.55	2.30

उत्पाद	इकाई	ब.अ. 2022-23	2021-22 (जनवरी, 22 से मार्च, 22 तक)	2022-23 (दिसंबर, 22 तक)		जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक (अनुमान)
			वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक (अंतिम)	
सकल विद्युत (एनएलसीआईएल)	एमयू	26,627.33	6,537.31	19,512.97	18,238.81	7,114.36
विद्युत निर्यात (एनएलसीआईएल)	एमयू	23,973.33	5,795.93	17,572.87	16,072.10	6,398.93
सकल विद्युत (एनटीपीएल)	एमयू	7,540.00	927.03	5,538.00	4,306.04	2,002.00
विद्युत निर्यात (एनटीपीएल)	एमयू	7,107.00	850.26	5,220.00	4,006.24	1,887.00

*सूचना अंतिम है और लेखापरीक्षा के अधीन है।



वर्ष 2022-23 के लिए प्रदर्शन (एनटीपीएल)



20. उत्पादकता:

2021-22 और 2022-23 में उत्पादकता निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

ओएमएस	यूनिट	2021-22 वास्तविक	2022-23 (दिसंबर, 22 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक (अंतिम)
खानें	टन	18.09	16.33	16.03
तापीय	कि.वा./घंटा	39,662	35,378	39,686

21. संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ)

2021-22 तथा 2022-23 के दौरान एनएलसीआईएल का पीएलएफ:-

पीएलएफ	2021-22 वास्तविक	2022-23 (दिसंबर, 22 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक (अंतिम)
टी.पी.एस-1 ई	88.82	80.45	84.93
टीपीएस-11	75.51	77.87	63.59
टीपीएस-11 ई	46.58	50.42	48.54
बरसिंगसर टीपीएस	74.33	68.24	74.94
एनएनटीपीपी	70.53	79.67	79.50
एनटीपीएल	47.74	83.91	65.24

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है।

22. एससीसीएल का कोयला उत्पादन— वर्ष 2022–23 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 70 मि.ट. और दिसंबर, 2022 तक वास्तविक कोयला उत्पादन 47.23 (मि.ट.) है।

(मि.ट. में)

लक्ष्य (जनवरी–दिसंबर, 2022)	वास्तविक (जनवरी–दिसंबर, 2022)	उपलब्धि
68.61	65.74	95.82%

एससीसीएल का कोयला प्रेषण—जनवरी–दिसंबर, 2022 के लिए कोयला प्रेषण लक्ष्य 68.63 मि.ट. था, जबकि जनवरी–दिसंबर, 2022 तक वास्तविक कोयला प्रेषण 64.64 मि.ट. है।

लक्ष्य (जनवरी–दिसंबर, 2022)	वास्तविक (जनवरी–दिसंबर, 2022)	उपलब्धि
68.61	64.64	94.21%

23. कोयला प्रेषण

वर्ष 2022–23 (दिसंबर, 22 तक) 911.00 मि.ट. के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में वास्तविक कच्चा कोयला प्रेषण 637.241 मि.ट. है। सीआईएल, एससीसीएल और अन्यो से प्राप्त कोयला उत्पादन का कंपनी–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

कंपनी–वार कोयला प्रेषण (मि. टन)							
कंपनी	2021–22 (अनंतिम)		उपलब्धि	वृद्धि	2022–23 (दिसंबर, 2022 तक) अनंतिम		
	वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक			वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि
सीआईएल	740.000	661.741	89.42%	15.36%	700.000	508.062	72.58%
एससीसीएल	68.000	65.533	96.37%	35.08%	70.000	47.274	67.53%
कैप्टिव*	99.000	87.076	87.96%	39.05%	130.000	77.500	59.62%
अन्य	11.000	4.863	44.21%	-20.53%	11.000	4.405	40.05%
कुल	918.000	819.213	89.24%	18.57%	911.00	637.241	69.95%

* वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान एससीसीएल की गारे पाल्मा–IV/2 एवं 3 से 3.241 मि.ट., 2.713 मि.ट. और 1.430 मि.ट. प्रेषण को सीआईएल में जोड़ा गया है और इसे कैप्टिव प्रेषण में शामिल नहीं किया गया है।

24. उत्पादकता (ओएमएस) : वर्ष 2022–23 के लिए उत्पादकता लक्ष्य (समग्र खानें) 7.42 टन हैं और दिसंबर, 2022 तक 5.33 टन प्राप्त हुआ है।

साल	सिंगरनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	समग्र
2022-23	1.66	17.83	7.42
2022–23 वास्तविक (दिसंबर, 2022 तक)	1.21	14.15	5.33

जनशक्ति : दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में 1,622 महिला कर्मचारियों सहित 43,000 कर्मचारी हैं।

सिंगरनी थर्मल पावर प्लांट: वर्तमान में, 2*600 मे.वा. सिंगरनी थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिले में प्रचालनरत

है। वर्ष 2021-22 में कुल 9352.93 एमयू विद्युत का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2022-23 (दिसम्बर तक) के दौरान 91.15 पीएलएफ के साथ कुल 7,219 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया।

सौर विद्युत संयंत्र: एससीसीएल ने 300 मे.वा. क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। अभी तक एससीसीएल में विभिन्न स्थानों में 219 मे.वा. क्षमता संयंत्रों को शुरू किया गया है। 15 मे.वा. फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्रों क्षमता सहित शेष 81 मे.वा. के लिए कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2022-23 (दिसम्बर तक) के दौरान 225.59 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एससीसीएल तेलंगाना राज्य के जलाशयों के जल सतही क्षेत्र पर अन्य 250 मे.वा. फ्लोटिंग सौर पीवी परियोजनाओं को शुरू करने की संभावना तलाश रही है।

एससीसीएल में रोजगार के अवसर: एससीसीएल द्वारा बाह्य और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। एससीसीएल ने तेलंगाना राज्य का गठन होने के बाद, 18,800 से भी अधिक व्यक्तियों (आश्रित/अनुकंपा के आधार पर रोजगार सहित) को रोजगार प्रदान किया गया।

पौधारोपण: सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम " हरिथा हरम" के तहत, एससीसीएल खनित क्षेत्र, ओबी डंप, अन्य क्षेत्रों और बाहरी लीज़होल्ड क्षेत्र में पौधारोपण कर रही है।

वर्ष 1984 से एससीसीएल ने तेलंगाना राज्य के जीवीसीएफ में 6.91 करोड़ पौधे (2.22 करोड़ पौधों के निःशुल्क संवितरण सहित) लगाए हैं। वर्ष 2022 में, एससीसीएल ने लगभग 557.50 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 40.13 लाख पौधे लगाए हैं।

27. कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय:

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों नामतः प्रचलन में आवास एवं स्वच्छता, शिक्षा, मनोविनोद, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं सहित चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को जारी रखा जा रहा है।

आवास :

समग्र आवास संतुष्टि 100% है।

शिक्षा :

कंपनी कर्मचारियों के बच्चों और साथ ही अन्य नजदीकी निवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 9 हाई स्कूल, 1 महिला पीजी एवं डिग्री कॉलेज और 1 पोलीटेक्नीक कॉलेज चला रही है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क छात्रों के लिए 3 स्कूलों को वित्तीय सहायता दी गई है।

पेयजल:

कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यालयों, खानों, अस्पतालों, गेस्टहाऊसों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि में आरओ प्यूरीफिकेशन संयंत्रों को स्थापित किया गया है।

योगा और मनोविनोद:

पूरे वर्ष योगा और मेडिटेशन कैंपों का व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों को खेल सुविधाएं एवं अपेक्षित अवसरचरणा प्रदान की गई है और खेलों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है।

सेवानिवृत्त कामगार और उनके विवाहिती के लिए **अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्कीम** कार्यान्वित की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें:

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें अर्थात् जनता कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना (जेपीएआईएस), परिवार लाभ बीमा योजना (एफबीआईएस), समूह बीमा योजना, कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) और अंशदायी सेवानिवृत्ति बाद मेडिकेयर योजना कार्यान्वित की जा रही है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार:

उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान हो गई है या जो चिकित्सकीय रूप से अशक्त होते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

एससीसीएल के पास कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के

लिए 821 बेड वाले 7 क्षेत्रीय अस्पताल और 21 औषधालय हैं। एससीसीएल प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक (इन-पेशेंट, आउट पेशेंट, निदानात्मक, मनोविकार संबंधी रोग) व्यावसायिक, रेफरल सेवाएं (हैदराबाद, करीम नगर, वारामल और खमम आदि में एससीसीएल के साथ पैनलबद्ध 75 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल) प्रदान कर रही है।

सहकारी समिति और बिक्री डिपो:

खानों और विभागों में कार्यरत एससीसीएल के कामगारों को बचत की संस्कृति को समाहित करने और ऋण प्राप्त करने के लिए पैसे उधार देने वालों के पास जाने वाले कर्मचारियों से बचने के दृष्टिकोण से 'कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी' का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अन्य:

निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

- कर्मचारियों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति।
- आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश पाने पर एनसीडब्ल्यूए के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन-फी की प्रतिपूर्ति।
- निवल लाभ में से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
- निष्पादन संबद्ध पुरस्कार स्कीम का भुगतान।
- त्यौहार पेशगी का भुगतान।
- एनसीडब्ल्यूए की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश प्रदान करना।
- आवास निर्माण ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति स्कीम।
- कर्मचारियों को उनके घरों में एसी कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है।

प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी:

- एससीसीएल संयुक्त वार्ता में शामिल कर्मचारियों के प्रतिनिधि बनाकर प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को अपनाने में सबसे आगे है और उचित परामर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं।
- सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

में 3 स्तरों अर्थात इकाई/खान, क्षेत्र और कंपनी स्तरों पर प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की अवधारणा को बहुत पहले ही लागू कर दिया गया था, जिसके संतोषजनक परिणाम औद्योगिक शांति में सुधार और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों की स्थापना में सामने आए हैं।

- उपरोक्त के अलावा, एक 3 स्तरीय-शिकायत प्रक्रिया अर्थात इकाई स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और निगम स्तर पर-कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय-सीमा में करने के लिए क्रियान्वित किया जा रही है।
- दिनांक 09.09.1998 को गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों के चुनाव कराने के बाद, औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिससे अवैध हड़तालों की संख्या में बहुत कम दर से कमी हुई है और जो कंपनी का कार्यालय करने में परिलक्षित हुआ है और ये यूनियन पिछले 22 वर्षों से लगातार मुनाफा कमा रहे हैं।

मांगों पर यूनियनों के साथ बातचीत में अपनाए गए सिद्धांत :

- जेबीसीसीआई के दिशानिर्देश वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों आदि के संबंध में किसी भी मुद्दे को तय करने के लिए बेंचमार्क हैं।
- सभी नियुक्तियां, पदोन्नति और स्थानांतरण स्पष्ट चिन्हित रिक्तियों के लिए हैं।
- वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से विकसित कार्य मानदंडों का कार्यान्वयन।
- अनुशासन, कार्य मानकों आदि को बनाए रखने के लिए कानून के तहत प्रबंधन को प्राप्त सभी कानूनी अधिकारों को लागू करना।

ठेका कामगार:

- ओबी रिमूवल को छोड़कर जो स्ट्रिपिंग अनुपात पर है, सभी आउटसोर्स नौकरियों के लिए यूनिट दर पर बाहरी एजेंसियों को ठेका देकर ओपनकास्ट खनन प्रचालन

में ओवर बर्डन रिमूवल के अलावा नागरिक रखरखाव और मरम्मत कार्यों, हाउस कीपिंग, सुरक्षा, परिवहन, वृक्षारोपण और नर्सरी जैसे कुछ नॉन-कोर गतिविधियों, कम मूल्य वर्धित नौकरियों या आंतरायिक प्रकृति कार्यों को आउटसोर्स किया। ठेकेदार बदले में अपने कर्मचारियों को आउटसोर्स कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त करते हैं।

गैर-भेदभाव:

➤ एससीसीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते सभी वैधानिक/संवैधानिक प्रावधानों, जेबीसीसीआई/एनसीडब्ल्यूए करारों के तहत प्रावधानों और सेवा शर्तों, वेतन एवं भत्तों तथा अन्य विशेषाधिकारों/कार्य स्थितियों के संबंध में पीआरसी का अनुपालन कर रहा है। लिंग, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है। स्थापना में कार्यरत सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।

शिकायत प्रबंधन:

➤ एससीसीएल कर्मचारी की वास्तविक शिकायतों का निपटान करने के लिए 3 चरणों अर्थात 1) खान/विभाग स्तर 2) क्षेत्रीय स्तर एवं 3) अपीलीय प्राधिकारी (निगमित) स्तर पर कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों के निवारण हेतु सुव्यवस्थित 'शिकायत निवारण प्रक्रिया' का अनुपालन कर रही है और प्रणाली सुचारू एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है तथा यह आईडी अधिनियम, 1947 की धारा-9ग के प्रावधानों के तहत

यथा-आवश्यक संगठन में औद्योगिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

➤ शिकायत निवारण तंत्र व्यक्तिगत कर्मचारी से संबंधित मामलों और प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मान्यता प्राप्त/प्रतिनिधियों की स्थिति ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाए जाने वाले सामान्य मामलों को छोड़कर प्रतिष्ठान के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का निपटान करेगा।

➤ इसके अलावा, एससीसीएल कंपनी के प्रत्येक क्षेत्र में एक विनिर्दिष्ट तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त करने वाले निदेशक (पीएएंडडब्ल्यू) द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की एक नई पद्धति का भी अब अनुपालन कर रही है। (एससीसीएल के पास 3 क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में 8 से 14 खानें हैं) और प्राप्त शिकायत पर संबंधित विभाग द्वारा शिकायत के निवारण की स्थिति पर प्रत्येक याचिकाकर्ता को लिखित में जवाब दिया गया है।

25. पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स में विकास कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कोल इंडिया लिमिटेड ने खनन कार्यकलाप मुख्य रूप से असम के माकूम कोलफील्ड्स में हैं। इस समय, तिकाक कोलियरी के तिकाक एक्सटेंशन ओसीपी प्रचालनरत है।

तिरप ओसीपी को जल्द से जल्द प्रचालनरत करने के लिए संविधिक मंजूरी प्राप्त हो रही है।

एनईसी का कार्य-निष्पादन (01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि)

सारणी-II

(आंकड़े टन में)

	कोयला उत्पादन		यूनिट	मात्रा
1	I)	भूमिगत	टन	0
	II)	ओपन कास्ट	टन	151027.95
	कुल		टन	151027.95
2	ओएमएस			
	I)	भूमिगत	टन	0
	II)	ओपन कास्ट	टन	2.03
	कुल		टन	1.41

	कोयला उत्पादन		यूनिट	मात्रा
3	कोयला प्रेषण / उठान			
	I)	प्रेषण	टन	93008.36
	II)	घरेलू खपत	टन	1.00
	III)	उठान	टन	93009.36
4	31.12.2022 की स्थिति के अनुसार पिट-हेड कोयला भंडार (नामचिक को छोड़कर)		टन	58018.59
	31.12.2022 की स्थिति के अनुसार पिट-हेड कोयला भंडार (नामचिक सहित)		टन	74874.44
5	खानों की संख्या		कार्यरत	1

26. एनईसी की कार्य निष्पादन रिपोर्ट (01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि)

Company Wise Coal Despatch [Million Tonnes]								
माह	उत्पादन		मैनशिफ्ट		कुल मैनशिफ्ट	ओएमएस		कुल ओएमएस
	यूसी	ओसी	यूसी	ओसी		यूसी	ओसी	
जनवरी, 22	0	0	3705	6215				
फरवरी, 22	0	2694.21	3469	5737				
मार्च, 22	0	24949.10	3653	6151				
अप्रैल से दिसंबर, 22	0	123384.64	21501	56349				
कुल:—	0	151027.95	32328	74452	106780	0	2.03	1.41

27. पिछले पांच वर्षों के दौरान नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स का कार्य-निष्पादन

कोलियरी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 till Dec
कोयला उत्पादन (आंकड़े टन में)					
तिरप (ओसी)	529767	450046	35941	0.00	0.00
तिकाक (ओसी)	252252	66794	0	27643.31	123384.64
लेडो ओसीपी	1968	0	0	0.00	0.00
कुल:	783987	516840	35941	27643.31	123384.64
ओबी रिमूवल (आंकड़े घन मीटर में)					
तिरप (ओसी)	5723607.64	4146301.09	5126499.90	5723607.64	4146301.09
तिकाक (ओसी)	2765922.50	584128.00	2668553.75	2765922.50	584128.00
लेडो ओसीपी	14729.27	0.00	58092.80	14729.27	0
कुल:	8504259.41	4730429.09	535300.41	355034.23	1501266
कोयला प्रेषण (आंकड़े टन में)					
तिरप (ओसी)	500489.13	483399.04	89426.13	0.00	0.00
तिकाक (ओसी)	252542.20	78559.48	906.12	0.00	93008.36
लेडो ओसीपी	849.71	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल:	753881.04	561958.52	90332.25	0.00	93008.36

ओसी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ओ.एम.एस					
ओसी	3.37	2.62	0.22	0.21	1.58
पिछले पांच वर्षों की लाभप्रदता (आंकड़े लाख रुपये में) नवंबर, 22 तक					
तिपोंग (यूजी)	(-) 6573.67	(-) 6799.52	(-) 4533.74	(-) 5375.13	(-) 1544.34
तिरप (ओसी)	(+) 2959.21	(+) 29.19	(-) 10647.53	(-) 8291.19	(-) 3277.22
तिकाक (ओसी)	(-) 2864.67	(-) 8700.40	(-) 5189.22	(-) 5829.71	(-) 991.58
लेडो ओसीपी	(-) 1883.22	-	-	-	-
कुल:	(-) 8433.68	(-) 15470.73		(-) 19496.03	(-) 5813.14
			बट्टे खाते में डालने के कारण -V 576-00 (सीडब्लूआईपी)	निर्माणाधीन राजस्व परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डालने पर हानि (अन्य खनन अवसंरचना)	
			(-) 20946.49	(-) 931.78	
				(-) 20427.81	

